No.I.27011/2/2016-Coord.
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

New Delhi-110001
Dated: 25th April, 2016

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of March, 2016 is enclosed for information.

(Kshitish Kumar)
Under Secretary to the Government of India,
Tel.No.2338 4502

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to :

1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Cabinet Secretariat,New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to : (i) Economic Advisor, MCA
(ii) PSO to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir(●AK) - To upload the communication on official website of the MCA

26/04/16

Ministry of Corporate Affairs

Important policy decisions taken and major achievements during the month of March, 2016.

(I) Notifications:-

(i) In exercise of the powers conferred under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of Section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Ministry has notified that "the debt to capital and free reserves ratio" after buy-back of its shares shall not be more than 6:1 for government companies which carry on Non-Banking Finance Institution activities and Housing Finance activities. Section 68 deals with power of company to purchase its own securities. (S.O. No. 702(E), dated 10.03.2016).

(ii) This Ministry has notified the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2016 to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, thereby substituting Form No. INC-11, which lays down the format of Certificate of Incorporation.(GSR No. 336(E) dated 23.03.2016).

(iii) This Ministry has notified the Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2016 to amend the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, thereby inserting the following proviso in rule 17 after sub rule (5), namely:-
"Provided that where all members of a company agree, the offer for buy-back may remain open for a period less than fifteen days".(GSR No. 358(E) dated 29.03.2016).

(iv) This Ministry has issued the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2016(CARO) providing for issue/revision of CARO in consultation with the Committee constituted for revision of CARO as National Financial Reporting Authority is not yet constituted. (GSR No. 1226(E) dated 29.03.2016).

(v) This Ministry has issued the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2016, providing for amendment in Indian Accounting Standards (Ind-AS) under Companies Act, 2013 to be carried out in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards(NACAS) as

National Financial Reporting Authority is not yet constituted. (GSR No. 1227(E) dated 29.03.2016).

(vi) This Ministry has notified the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 for the financial years commencing w.e.f. 1st April, 2016. (GSR No. 1228(E) dated 29.03.2016).

(vii) This Ministry has amended the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 through Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. Seven Accounting Standards i.e. AS-2, AS-4, AS-10, AS-13, AS-14, AS-21 and AS-29 have been substituted. AS-6 has been omitted. (GSR No. 364(E) dated 30.03.2016).

(viii) This Ministry has amended the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 relating to the Accounting Standards and the roadmap for banking companies, insurance companies and NBFCs through Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 vide which Ind-AS-11 and Ind-AS 18 along with consequential amendments have been notified. (GSR No. 365(E) dated 30.03.2016).

(ix) The Companies (Amendment) Bill, 2016 containing the proposals to amend the Companies Act, 2013 consequent to the recommendations of the Companies Law Committee was introduced in the Lok Sabha on 16.03.2016.

सं. आई-27011/2/2016-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001

तारीखः 25 अप्रैल, 2016

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मार्च, 20116 के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(क्षितीश कुमार)
भारत सरकार का अवर सचिव
दूरभाषः 2338 4502

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(ii) सचिव के प्रधान कार्मिक अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ई.ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

मार्च, 2016 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

(I) <u>अधिसूचनाएं:-</u>

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (घ) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान कार्यकलाप और आवास वित्त कार्यकलाप करने वाली सरकारी कंपनियों के लिए अपने शेयरों को पुनः खरीदने के बाद "पूंजी का ऋण और खुली आरक्षिति अनुपात" 6:1 से अधिक नहीं होगा। धारा 68 कंपनी के अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों को खरीदने के अधिकार से संबंधित है। (का.आ. सं. 702(अ), दिनांक 10.03.2016)।

(ii) इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं जिसके द्वारा प्ररूप संख्या आईएनसी-11 को बदला गया है जिसमें निगमन प्रमाणपत्र का प्रपत्र दिया गया है (सा.का.नि. संख्या 336(अ) दिनांक 23.03.2016)।

(iii) इस मंत्रालय ने कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) दूसरा संशोधन नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं जिसके द्वारा नियम 17 में उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया है, अर्थात्:-
"परंतु कि यदि किसी कंपनी के सभी सदस्य सहमत हो तो पुनः क्रय का प्रस्ताव 15 दिन से कम अवधि के लिए खुला रह सकता है"(सा.का.नि. संख्या 358(अ) दिनांक 29.03.2016)।

(iv) इस मंत्रालय ने कंपनी (कठिनाई दूर करना) आदेश, 2016 (सीएआरओ) जारी किए हैं जिनके द्वारा सीएआरओ में संशोधन करने के लिए गठित समिति के परामर्श से सीएआरओ जारी करने/संशोधित करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि अभी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। (सा.का.नि. सं. 1226(अ) दिनांक 29.03.2016)।

(v) इस मंत्रालय ने कंपनी (कठिनाई दूर करना) द्वितीय आदेश, 2016 जारी किए हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय लेखांकन मानक, सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के परामर्श से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएएस) में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है क्योंकि अभी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। (सा.का.नि. सं. 1227(अ) दिनांक 29.03.2016)।

(vi) इस मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 अधिसूचित किए हैं। (सा.का.नि. सं. 1228(अ) दिनांक 29.03.2016)।

(vii) इस मंत्रालय ने कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 द्वारा कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 में संशोधन किया है। सात लेखांकन मानकों यथा एएस-2, एएस-4, एएस-10, एएस-13,

एएस-14, एएस-21 और एएस-29 को बदला गया है। एएस-6 हटा दिया गया है। (सा.का.नि. सं. 364(अ) दिनांक 30.03.2016)।

(viii) इस मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा लेखांकन मानकों से संबंधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 संशोधित किए हैं और बैंकिंग कंपनियों, बीमा कंपनियों तथा एनबीएफसी के लिए रूपरेखा बनाई है जिसके द्वारा इंडएएस-11 और इंडएएस-18 के साथ-साथ परिणामी संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। (सा.का.नि. सं. 365(अ) दिनांक 30.03.2016)।

(ix) कंपनी विधि समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 16.03.2016 को लोकसभा में प्रस्तुत किया।